UPKN010065352026

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।**

उपस्थितः अनमोल पाल, एच0जे0एस0

**अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2230/2026**

अमित द्विवेदी उम्र 34 वर्ष पुत्र स्व0 अरविन्द कुमार द्विवेदी, निवासी मकान नं0 128/762 वाई ब्लाक किदवई नगर पशुपति नगर, कानपुर नगर।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

..... विपक्षी

मु0अ0सं0–471/2024
धारा–351(2), 352, 115(2), 110 बी0एन0एस0
थाना–नौबस्ता, कानपुर नगर

**30.06.2026**

1. वर्तमान प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त अमित द्विवेदी की ओर से मुकदमा अपराध सं0 471/2024 धारा 351(2), 352, 115(2), 110 बी0एन0एस0 थाना नौबस्ता, कानपुर नगर में अग्रिम जमानत हेतु संस्थित किया गया है।
2. संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा प्रशान्त शुक्ला एडवोकेट दिनांक 26.10.2024 को समय सायं 7.00 बजे निकट करीब राम कथा पार्क मे गया था वहां अमित द्विवेदी ने उसे व इन्दर पाण्डेय ने कहते हुए मारा कि सागर यादव नहीं जीत रहा है महामंत्री मे, उसने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की जिससे उसका दांत टूट गया, उसने कहा कि उसने सागर यादव को वोट दिया है तो उसने उसे गाली देते हुए जान से मारने का प्रयास किया तथा सर मे धारदार लोहे की राड से हमला कर दिया।
3. उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 27.10.2024 को समय 12.16 बजे थाना नौबस्ता, कानपुर नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 471/2024 धारा 352, 117(2), 115(2) बी0एन0एस0 अभियुक्तगण अमित द्विवेदी व इन्द्र पाण्डेय के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।
4. आवेदक/अभियुक्त की तरफ से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कहा गया कि अभियुक्त बेगुनाह है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। विवेचक द्वारा वादी मुकदमा का बयान लेखबद्ध किया गया है जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट से भिन्न बयान दिया है। स्वतंत्र गवाह उज्जवल तिवारी व दीपक शुक्ला के बयान सी0डी0 6 मे अंकित किए गए हैं जिन्होने कथन किया है कि उसके मोहल्ले के अमित व उसका दोस्त बैठा था तभी गीता पार्क मे दो लड़के आये जिनमे एक का नाम प्रशान्त शुक्ला था और वह दारू पीकर आया था और उसकी जेब मे भी दारू की बोतल थी और वह अमित से भिड़ गया। प्रशान्त ने अमित को कुर्सी से मारने का प्रयास किया। चिकित्सक द्वारा चोटहिल को साधारण चोटें आना बताया गया है। विवेचक द्वारा सही विवेचना

न कर बिना आवेदक से सही घटना की जानकारी लिए आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। विवेचक द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के बारे मे न तो कोई विवेचना की गयी और न ही कोई साक्ष्य संकलन किया गया। विवेचक द्वारा उक्त मामले मे निष्पक्ष विवेचना न कर वादी मुकदमा के दबाव मे आकर आवेदक के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित कर दिया गया। आरोप पत्र पर अवर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के पश्चात आवेदक को सूचना प्राप्त हुयी जिस पर आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 528 बी0एन0एस0एस0 सं0 50577/2025 प्रस्तुत कर संज्ञान आदेश को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मामला सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय होने के कारण आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु कहा गया। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित समस्त धारायें सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है, आवेदक द्वारा विवेचना मे पूर्ण सहयोग किया गया है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए। आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन मे फौजदारी प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 438 सं0 1835/2023 मो0 अदीब अहमद बनाम उ0प्र0 राज्य मे पारित आदेश दिनांक 22.08.2023 की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर वादी के साथ गाली गलौज करते हुए लोहे की राड से हमला किया गया जिससे उसे चोटे आयी तथा उसका दांत टूट गया। चिकित्सीय परीक्षण आख्या मे चोटहिल के चार चोटें आना दर्शित किया गया है तथा चोटें कुंदाले से पहुंचाया जाना अंकित है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा प्रशान्त शुक्ला, साक्षीगण उज्जवल तिवारी, दीपक कुमार, अमन त्रिपाठी, हर्षित यादव, डा0 एस0पी0 दीक्षित के बयान लिखे गये हैं जिन्होने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 351(2), 352, 115(2), 110 बी0एन0एस0 न्यायालय मे प्रेषित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त व अन्य अभियुक्त के विरूद्ध जमानती वारण्ट जारी किया गया है, अभियुक्त की गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है, अतः अग्रिम जमानत निरस्त की जाए।
6. उभय पक्ष के तर्को को विस्तार से सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।
7. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **शिवम बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य, एआईआर आनलाइन 2021 इलाहाबाद 484** के प्रकरण में पैरा–41 ''उपयुक्त प्रकरण'' जिन्हें समझा जायेगा, के सम्बन्ध में 11 दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है तथा यह भी धारित किया गया है कि उनमें तथा उनसे अधिक उपयुक्त मामलों में आरोपपत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त अथवा न्यायालय द्वारा विचारण हेतु आहूत किये जाने के उपरान्त अग्रिम जमानत प्रदान की जा सकती है।
    1. जहाँ विवेचनाधिकारी द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया हो/न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हो परन्तु एफ.आई.आर. अथवा परिवाद के गुण दोष इस प्रकार के हों कि उन्हें अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय मे साबित नहीं किया जा सकता,

2. जहाँ पर सिविल उपचार अस्तित्व में हो, परन्तु आपराधिक उपचार का सहारा लिया गया हो,
3. जहाँ पर एफ.आई.आर./परिवाद प्रत्यक्ष रूप से अभियुक्त द्वारा पूर्व में दाखिल एफ.आई.आर. अथवा परिवाद के प्रतिवाद के रूप में दाखिल किया गया हो,
4. एफ.आई.आर. अथवा परिवाद के कथन अथवा साक्षीगण के कथन जिस प्रकार वे अंकित है, उससे कोई प्रकरण अभियुक्त के विरूद्ध न बन रहा हो अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा परिवाद कथित अपराध के आवश्यक तत्वों को दर्शित न करता हो,
5. एफ.आई.आर./परिवाद के कथन साफ–साफ बेतुके हो अथवा अन्तर्निहित ढंग से असंभाव्य हो,
6. आरोपपत्र बिल्कुल असंगत अथवा ऐसे साक्ष्यो/सामग्री के आधार पर प्रेषित किया गया हो जो ग्राह्य न हो,
7. आरोप पत्र/परिवाद प्रस्तुत किया गया हो, परन्तु किसी विधिक त्रुटि के आधार पर कार्यवाही किये जाने योग्य न हो,
8. प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद के कथन संज्ञेय अपराध गठित न करते हो अपितु असंज्ञेय अपराध गठित करते हो तथा विवेचना मजिस्ट्रेट के आदेश अन्तर्गत धारा 155(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के बिना ही पुलिस द्वारा की गयी हो,
9. जहाँ आरोपपत्र में दर्शित गुरूत्तर आरोप साबित न होता हो तथा लघुत्तर आरोप ही साबित होता हो, विवेचनाधिकारी के द्वारा पाया गया हो,
10. जहाँ विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूरी कर ली गयी हो परन्तु आरोपित व्यक्ति का बयान अंकित न किया गया हो तथा आरोप पत्र मात्र अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयान पर विश्वास करके प्रस्तुत किया गया हो,
11. जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विधिक बाधा हो तथा केवल परिवाद ही प्रस्तुत किया जा सकता हो, परन्तु आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया हो।

8. पैरा–43 में उन प्रकरणों का दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, जिनमें आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जा सकती तथा पैरा–45 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि ऐसे 6 तथ्य वर्णित किये गये है, जब किसी आरोपी द्वारा उसके खिलाफ आरोपपत्र प्रस्तुत करने के बाद अग्रिम जमानत की मांग की जाती है, तो सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अग्रिम जमानत आवेदन में निम्नलिखित विवरण देना आवश्यक है कि–
    1. जाँच अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सम्पूर्ण सामग्री के साथ आरोप पत्र को अग्रिम जमानत आवेदन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए,
    2. रिकार्ड पर मौजूद सामग्री के संदर्भ में स्पष्ट दलील यह बताते हुए दी जानी चाहिए कि किसके तहत यहाँ ऊपर बताये गये पैराग्राफ 41 के उप पैराग्राफ में आवेदक का मामला शामिल है,
    3. यह भी स्पष्ट दलील दी जानी चाहिए कि आवेदक का मामला पूर्वोक्त पैराग्राफ 43 से बाधित नहीं है,
    4. अग्रिम जमानत आवेदन के समर्थन में शपथपत्र में स्पष्ट कथन होना चाहिए कि आवेदक ने किसी भी कार्यवाही में इस न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी गयी है,

5. यदि आवेदक ने आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद किसी अन्य कार्यवाही के माध्यम से इस न्यायालय से सम्पर्क किया है और किसी भी कार्यवाही में कोई आदेश प्राप्त किया है, तो उसे अग्रिम जमानत आवेदन में खुलासा किया जायेगा, और
6. अग्रिम जमानत आवेदन में स्पष्ट दलील दी जानी चाहिए कि आरोपपत्र प्रस्तुत करने के बाद आवेदक ने किसी भी अदालत से संपर्क नहीं किया है और ऐसी कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है।

9. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर वादी के साथ गाली गलौज करते हुए लोहे की राड से हमला किया गया जिससे उसे चोटे आयी तथा उसका दांत टूट गया। चिकित्सीय परीक्षण आख्या मे चोटहिल के चार चोटें आना दर्शित किया गया है तथा चोटें कुंदाले से पहुंचाया जाना अंकित है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा प्रशान्त शुक्ला, साक्षीगण उज्जवल तिवारी, दीपक कुमार, अमन त्रिपाठी, हर्षित यादव, डा0 एस0पी0 दीक्षित के बयान लिखे गये हैं जिन्होने अभियोजन कथानक के समर्थन मे साक्ष्य दी है। मामले मे विवेचनोपरांत आवेदक/अभियुक्त व अन्य अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय मे प्रेषित किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 351(2), 352, 115(2), 110 बी0एन0एस0 का आरोप है। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त व अन्य अभियुक्त के विरूद्ध जमानती वारण्ट जारी किया गया है।

10. उल्लेखनीय है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 528 बी0एन0एस0एस0 सं0 50577/2025 अमित द्विवेदी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, समस्त कार्यवाही को रद्द किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 27.01.2026 द्वारा अस्वीकार किया गया है तथा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी0बी0आई0 व अन्य मे प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तो के आधार पर निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया गया है।

11. थाने की आख्यानुसार अभियुक्त का एक अन्य मामले का अपराधिक इतिहास है :–
    1. अ0स0 1100/2020 धारा 323, 354, 504, 506 भा0द0स0 थाना नौबस्ता, कानपुर नगर

12. अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा न्यायालय से जमानती वारण्ट निर्गत होने के पश्चात यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त जानबूझकर प्रकरण को विलम्बित कर रहा है और उसका आचरण सद्भावी प्रतीत नहीं होता है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा चुका है जिससे अभियुक्त की अभिकथित घटना/अपराध मे संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है, ऐसी स्थिति मे आवेदक/अभियुक्त को अपमानित करने या उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के आशय से वाद योजित किया जाना नहीं माना जा सकता। विधि व्यवस्था **शिवम बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं अन्य** के प्रकरण में पैरा–41 के किस बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त का प्रकरण आच्छादित है, ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है तथा सम्पूर्ण अभियोजन कथानक के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि

पैरा 41 के किसी भी बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त का प्रकरण नहीं आता है जिसके आधार पर आरोपपत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त का प्रकरण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र हेतु ''उपयुक्त प्रकरण'' समझा जाए।

13. प्रस्तुत प्रकरण मे विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर विवेचना के उपरांत आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा चुका है। इस स्तर पर उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को अपमानित करने या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त अपराधिक वाद संस्थित किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त **शिवम बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य** के प्रकरण के प्रस्तर 45 मे वर्णित तथ्य, जिनका आवश्यक रूप से अग्रिम जमानत आवेदन मे वर्णन किया जाएगा, उनका भी विवरण अंकित नहीं है, अर्थात प्रस्तर 45 मे वर्णित आवश्यक विवरण, आरोप पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मे अंकित नहीं किया गया है।

14. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियो, अपराध कारित करने मे आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को देखते हुए प्रकरण के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्त की अग्रिम जमानत स्वीकार किए जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

15. आवेदक/अभियुक्त अमित द्विवेदी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

16. आदेश की एक प्रति मूल पत्रावली मे संलग्न किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(अनमोल पाल)
आई.डी. यू.पी.1880
सत्र न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

दिनांकः 30.06.2026
अनिल



Digitally signed by ANMOL PAL
Date: 2026.06.30 17:50:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court